कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख
खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म
क्षेत्रीय कार्यालय रीवा, मध्यप्रदेश
ई मेल – **rhdgmrew@mp.gov.in**

क्रमांक /मा.प्ला./न.क्र./2021 रीवा, दिनांक

प्रति,

स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रो. श्री ललित पंघाल
निवासी मकान नंबर 975/76 सेक्टर 13,
हुड्डा भिवानी, हरियाणा

विषय :– खनन योजना के अनुमोदन बावत्।

संदर्भ :– 1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा का आदेश क्रमांक 5937/खनिज/2021 रीवा, दिनांक 11.10.2021

2. इस कार्यालय का आवक क्रमांक 1307 दिनांक 23.12.2021

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से ग्राम हरई गुजरान, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.) के खसरा क्रमांक 2/1 पी. (वन भूमि) रकवा 4.590 हे0 क्षेत्र पर खनिज पत्थर (यांत्रिकी क्रिया से गिट्टी निर्माण) उत्खनिपट्टा की खनन योजना आर.क्यू.पी. श्री पुष्पेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम–42 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत खनन योजना मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 42 (सी) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत अवधि अनुबंध निष्पादन दिनांक से 05 वर्ष (2022–2023 से 2026–2027) तक के लिये अनुमोदित की जाती है।

यह खनन योजना अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :–

1. आवेदक को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन की कार्यवाही करनी होगी।
2. खनन योजना का अनुमोदन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर लागू किये गये कानूनों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
3. इस खनन योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी अन्य आदेश या निर्देश पर प्रभाव डाले बिना किया गया है।
4. खान अधिनियम 1952 और उसके अधीन बनाये गये नियमों/उपबंधों का पट्टेदार द्वारा पालन किया जावेगा।
5. किसी भी स्तर पर यदि यह देखा गया कि खनन योजना में दी गई जानकारी गलत या गलत तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है, तो इस खनन योजना का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जावेगा।
6. म.प्र. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2011 अनुसार अनुमोदित खनन योजना में यदि प्रस्तावित उत्पादन में वृद्धि होती है तो ऐसी परिस्थितियों में उत्पादन की बढ़ी हुई

क्रमशः.......2

मात्रा के लिये पट्टेदार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जायेगा एवं पट्टेदार द्वारा एक पूरक अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

7. पट्टेदार को निर्देशित किया जाता है कि एक साल की अवधि के अंदर स्वीकृति क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे करायेगें।
8. उपरोक्तानुसार शर्तों के अलावा आवेदक/पट्टेदार द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के समस्त प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. यदि यह अनुमोदन किसी अन्य कानून या अदालत के आदेश/निर्देश से प्रतिकूल होता है तो यह अनुमोदन तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त माना जावेगा।
10. इस खनन योजना के अवधि समाप्त होने के 120 दिवस पूर्व खनन स्कीम प्रस्तुत की जावे, यदि इस अवधि में स्कीम प्रस्तुत नहीं की जाती है तब म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30(27) के तहत दण्डनीय होगा।

संलग्न :– खनन योजना एक प्रति।

क्षेत्रीय प्रमुख
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म
क्षेत्रीय कार्यालय रीवा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 104/मा.प्ला./न.क्र./2021 — रीवा, दिनांक 25/01/2022

प्रतिलिपि :–

कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला रीवा (म.प्र.) की ओर खनन योजना की एक प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय प्रमुख
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म
क्षेत्रीय कार्यालय रीवा, मध्यप्रदेश